न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–रूक्मणि रियार सिहाग,आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–83/2023 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

कोगटा फाइनेंसियल (इण्डिया) लिमिटेड निगमित कार्यालय जयपुर राजस्थान–302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

––**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री विकास कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार
   पता–86, लक्ष्मी मोबाईल सेन्टर के नजदीक, वार्ड नं. 02, ग्राम चक 16 एमडी मुण्डा, हनुमानगढ़ राज.–335526।
   दूसरा पता–स्वामी विवेकानन्द क्लासेस विकास कुमार राजीव चौक हनुमानगढ़ राजस्थान–335512।

.....**ऋणी**

2. श्री सुरेन्द्रपाल पुत्र श्री रामेश्वर
   पता–86, लक्ष्मी मोबाईल सेन्टर के नजदीक, वार्ड नं. 02, ग्राम चक 16 एमडी मुण्डा, हनुमानगढ़ राज.–335526।
3. श्रीमती वीरता देवी पत्नी श्री हबाबभाई अन्डानी
   पता–86, लक्ष्मी मोबाईल सेन्टर के नजदीक, वार्ड नं. 02, ग्राम चक 16 एमडी मुण्डा, हनुमानगढ़ राज.–335526।

.....**सहऋणी**

4. श्री विनोद कमार बेनीवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश बेनीवाल
   पता–वार्ड नं. 10, नौरंगदेसर 14 एनडीआर–सीएडी, हनुमानगढ़ राज.–335526।

.....**जमानती**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश

दिनांकः–02.08.2023

प्रार्थी कोगटा फाइनेंसियल (इण्डिया) लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से श्री जयपाल झोरड़ वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी कोगटा फाइनेंसियल (इण्डिया) लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कोगटा हाउस आजाद मौहल्ला, विजयनगर–305624 राजस्थान एवं निगमित कार्यालय एस–1 गोपालबाड़ी अजमेर पुलिया के पास में मैट्रो पिल्लर नं. 143 के सामने, जयपुर में स्थित है व कार्यरत है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। वादी वित्तीय संस्था का एक निगमित कार्यालय एस–1 गोपालबाड़ी अजमेर पुलिया के पास में मैट्रो पिल्लर नं. 143 के सामने, जयपुर के प्राधिकृत अधिकारी शक्ति सिंह शेखावत है। वह रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों से परिचित है व उनकों प्रार्थी कोगटा फाइनेंसियल (इण्डिया) लिमिटेड की ओर से साक्ष्य देने व प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर व सत्यापन करने व प्रार्थना पत्र के निपटारे तक समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है।

Web Copy - Not Official

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 06.03.2021 को जरिये खाता सं. 0000106572/R1 में रूपये 27,37,578/– की ऋण स्वीकृत व वितरित किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति–पट्टा नं. 38 पुस्तक संख्या 19, दिनांक 05.07.2016, 16 एमडी, मातोरिया वाली धानी, पंचायत समिति हनुमानगढ़ पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है (कुल क्षेत्रफल 5040 वर्गफीट है), जो कि श्री सुरेन्द्रपाल पुत्र श्री रामेश्वर के नाम से है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी के पक्ष में रहन/गिरवीकृत किया।

अप्रार्थीगण ने प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 05.02.2022 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 0000106572/R1 में बकाया राशि 32,64,814 दिनांक 16.02.2022 तक व आगे का ब्याज व अन्य खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कोगटा फाइनेंसियल (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थीगण को नोटिस दिनांक 16.02.2022 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि जमा करने की मांग की गई। वकील प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी वित्तिय संस्था का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी वित्तिय संस्था के पास रहन रखी अचल सम्पत्ति–पट्टा नं. 38 पुस्तक संख्या 19, दिनांक 05.07.2016, 16 एमडी, मातोरिया वाली धानी, पंचायत समिति हनुमानगढ़ पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है (कुल क्षेत्रफल 5040 वर्गफीट है), जो कि श्री सुरेन्द्रपाल पुत्र श्री रामेश्वर से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी वित्तिय संस्था को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी वित्तिय संस्था को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़